

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ शेखावाटी

21/6/18

पत्रावली पत्रावली पत्रावली पत्रावली  
उपस्थित। एत. वी. ओ. साहब अन्य कार्य में  
व्यस्त है प्रमग पर है। निराल मत् आदेशानुसार  
दिनांक 21/6/18 को पेश हो

21/6/18 पत्रावली रामगढ़ लोन मंडल / डिप्टी कोर  
रामगढ़ में पेडा ही पत्रावली का  
ध्यानपूर्वक खलोकन किया गया। प्रार्थी  
विराडि काराजी में रिपोर्ट खालिफ  
ही प्रार्थी ने इस अप्रतिभ से संकल्पित  
मूल बाद बेटवारा हेतु विहित कर  
रखा है प्रकरण का निरंतरण मूल  
बाद में साक्ष्य संकृत फिर जाने  
के बाद तम होना। प्रता प्रथम इष्टम  
मागला सुविधा का संतुलन तथा उपयुक्ति  
प्रति के किन्हु प्रार्थी के पास में प्रहित  
होते है। मत् अपायोगण को निराल  
इका बदधायी निषेधाज्ञा से पाबन्द  
विमा जाता है कि वे विवाहित  
काराजी एक 448/9। रकबा 1.92 हे  
वारे करवा रामगढ़ के गाँव के रिपोर्ट  
की परमाणु विधि को परिवर्तित नहीं  
करे। पत्रावली के माल मुकाद होकर मूल कर  
के संलग्न है।